The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | July-September 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

बोझा ढोता बचपन - बाल श्रमिक: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 विमला सिंह

सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र)

कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

बाल श्रम, सरकारी संस्थाए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

ABSTRACT

आज भारत के करोड़ नौनिहाल बाल श्रम का दंष झेलने को अभिशप्त है, आश्चर्य की बात है कि दुनिया में पिछले तीन दशकों से बालकों को लेकर तमाम तरह की चिंताओं का दौर जारी है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर निजी और स्थानीय स्तर की सरकारी संस्थाएं भी बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी बाल– श्रमिकों की संख्या में कमी आने के बजाय लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, आखिर क्या कारण हैं, कि देश में 4000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन बाल श्रमिकों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कारगर प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कोविड–19 महामारी की वजह से भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलियन हो गई है जो आंकड़ा हमें आश्चर्य में डाल देता है किस प्रकार इस चुनौती को समाप्त किया जाए।

बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जिस देश के बच्चों का पालन पोषण जैसा होगा, उसे देश का समाज भी उसी तरह होगा। बच्चों के विकास में परिवार द्वारा दिए गए संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान आदि का प्रभाव पड़ता है, अतः जब तक हम बच्चों का समुचित विकास नहीं करेंगे तब तक समाज व देश का विकास नहीं हो पाएगा। प्रायः देखने को मिलता है जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती उसे परिवार के बच्चे अपने घर से दूर विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए मिल जाते हैं, सभी तरह के अधिकारों से वंचित अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं और उसी को सर्वोपरि

*Corresponding Author

मानते हैं । किसी भी देश के बच्चे उस देश की आशा और भविष्य के कर्णधार होते हैं, उनके कंधों पर देश के नवनिर्माण का भार होता है अगर बचपन में ही इन कंधों पर बोझ आ गया तो देश के विकास में उनकी सहभागिता कैसे हो पाएगी, यह एक विचारणीय मुद्दा है ।

भारत में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध घोषित है। एक रिपोर्ट के अनुसार ''सरकार का दावा है कि भारत में बाल श्रमिकों की गणना का काम पूरा कर लिया गया है लेकिन आज भी भारत में बाल श्रम की समस्या घटने की वजह बढ़ रही है ।'' [1]

वास्तव में भारत में बच्चों की जितनी उपेक्षा हुई है शायद उतनी किसी और वर्ग की नहीं हुई। आज भी समाज में बहुत से बच्चे अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार औसतन भारत के हर तीसरे परिवार में एक बाल–श्रमिक होता है अर्थात 5 से 14 वर्ष की आयु का हर चौथा बच्चा बाल – मजदूर

है । इस तरह 'सेंट्रल फॉर कन्सर्न आफ चाइल्ड लेबर' ने भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 10 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, पर यह संख्या इससे भी अधिक है। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अशिक्षित बाल– श्रमिकों का सबसे बड़ा देश भारत है ।

''बच्चों को एक ऐसे परिवेश में बड़े होने की जरूरत है जिसमें वे एक स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य बन सके। उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वह बड़े होकर जिम्मेवार एवं जवाब देह नागरिक बन सके। दुर्भाग्यवष बच्चों की एक बड़ी आबादी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है।'' [2]

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के ऐसे बच्चों जो सड़कों के किनारे के ढाबों, भिक्षावृत्ति,होटलों, गैरेज, आलीशान कोटियों में घरेलू नौकरों, समाचार पत्र बांटना, कूड़ा–करकट इकठ्ठा कर कबाड़ का कार्य करने वाले, इन सबको अध्ययन के लिया गया है। अध्ययन के लिए 80 बच्चों का चुनाव उद्देश्य पूर्ण निर्देशन वह आलू अवलोकन द्वारा किया गया है। यद्यपि इनके सामाजिक जीवन के उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है, यह सामाजिक अपराध और मानवता के प्रति अपराध दोनों हैं।

उद्देश्य

1. बाल–श्रम के कारणों का अध्ययन करना ।
2. बाल–श्रम स्वयं या अपने अभिभावक के दबाव में कार्य कर रहे हैं, का अध्ययन करना ।
3. बाल–श्रम के द्वारा कमाये गए धन को स्वयं रखना या परिवार के लोगों द्वारा ले लेना, का अध्ययन करना ।
4. बाल–श्रम में लगे बच्चे का नशा के आदी हैं इसका अध्ययन करना ।
5. बाल–श्रम के उन्मूलन का अध्ययन करना ।

बाल श्रम के कारण –

प्रत्येक बच्चे का सपना होता है कि वह शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को संवारे तथा खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़े, देश के विकास में अपना योगदान कर सके, लेकिन बाल–श्रम के कारण लाखों बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण बाल–श्रम में लगा दिए जाते हैं या स्वयं लग जाते हैं।

''ऐसे बच्चे जो आवारा, दुष्ट, उद्दण्ड व चोर, शराबियों, जुआरियों आदि के साथ घुमने वाले तथा माता–पिता की आज्ञा के बिना घर से बहुत समय तक गायब रहने वाले अथवा बहुत रात बीतने तक सड़कों पर घूमने वाले बालक बहुआ बाल–श्रम में जुड़ जाते हैं।'' [3]

तालिका क्रमांक – 1

बाल–श्रम के कारण

क्रमांक	कारण	आवृति	प्रतिषत
1.	अभिभावकों कि सोच	7	8.6
2.	गरीबी	21	26.3
3.	नषे की आदत	8	10
4.	कोविड–19	11	13.8
5.	जागरूकता का आभाव	6	7.5

6.	श्रम का सस्ता साधन	10	12.5
7.	अषिक्षा	5	6.3
8.	सरकारी प्रयासों में कमी	12	15
	कुल योग	80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 26.3 प्रतिशत बाल–श्रमिक गरीब होने के कारण बाल–श्रम कार्य में लगे हुए हैं, 15 प्रतिषत सरकारी प्रयासों के कमी से, 13.8 प्रतिशत कोविड–19 आने से, 12.5 प्रतिशत श्रम का सस्ता साधन होने से, 10 प्रतिषत अपने नशे की आदत के कारण, 8.6 प्रतिषत अभिभावकों की सोच, 7.5 प्रतिषत जागरूकता का अभाव, 6.3 प्रतिशत अशिक्षा के कारण बाल–श्रम के कार्य में लगे हुए हैं।

बाल–श्रम आंरभ करने की स्थिती –

हर साल 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल–श्रम दिवस उन सैकड़ो बच्चों की दुर्दशा को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है, जो या तो अपनी मर्जी से काम करते हैं या फिर उनसे जबरन काम कराया जाता है दोनों ही दशा में इन बच्चों को अपने जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता है। यह विश्व भर में एक तेजी से बढ़ती त्रासदी है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है ।

तालिका क्रमांक – 2

बाल–श्रम आरंभ करने कि स्थिति

क्रमांक	आरंभ करने कि स्थिति	आवृति	प्रतिषत
1.	स्वयं की इच्छा	24	30
2.	अभिभावक का दबाव	56	70
	कुल योग	80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 70 प्रतिषत बाल–श्रमिक अपने अभिभावक के दबाव के कारण बाल–श्रम करना प्रारंभ किये क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी वह

अभिभावक स्वयं कमाने की स्थिति में नहीं थी स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वयं कार्य नहीं कर सकते थे। 30 प्रतिषत बाल–श्रमिक अपनी इच्छा से कार्य करना प्रारंभ किए थे जो आज तक चल रहा है ।

बाल–श्रम द्वारा कमाये धन पर अधिकार –

बाल –श्रम में लगे बच्चे जब धन कमाते हैं तो मेहनत तो उनका रहता है पर अधिकार नहीं, कभी अभिभावक ले लेते हैं तो कभी ठेकेदार ले लेते हैं यह श्रम क्यों कर रहे हैं? यह भी इन्हें पता नहीं होता है ।

तालिका क्रमांक – 3

बाल श्रम द्वारा कमाये धन पर अधिकार

क्रमांक	अधिकार	आवृति	प्रतिषत
1.	अभिभावक का	46	57.5
2.	ठेकेदार का	18	22.5
3.	स्वयं का	16	20
	कुल योग	80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 57.5 प्रतिशत बाल–श्रमिकों के अभिभावक उनसे धन को ले लेते हैं क्योंकि परिवार की आर्थिक अच्छी नहीं है, 22.5 प्रतिशत ठेकेदार ले लेते हैं जो उन्हें कम पर लगाए होते हैं, 20 प्रतिषत बाल –श्रमिक ही अपने वेतन को अपने पास रख पाते हैं ।

बाल श्रम में लगे बच्चों में नशा की स्थिति –

आज हमारे देश में बाल–श्रम में लगे बच्चे धीरे–धीरे नशे की आगोश में जा रहे हैं। वह सस्ते नशे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर हमारा बचपन ऐसा है तो जवानी कैसी होगी, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य जिन्होंने अभी तक होश भी नहीं संभाला है और वह दिन भर नशे की हालत में रहते हैं। बाल–श्रम कल्याण समिति के अनुसार आज देश में हर पांचवा बच्चा नशे का आदि है।

''कोई भी व्यक्ति नषा क्यों करता है? जब ये नषा बालको से जुड़ जाता है तो यह प्रष्न काफी गंभीर एवं संवेदनषील बन जाता है। कभी–कभी जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है

जिनके कारण एक अच्छे व्यक्ति के अंदर कई दुर्गुण आ जाते है, इन दुर्गुणों में नषा एक प्रमुख बुराई है।'' [4]

तालिका क्रमांक – 4

बाल श्रम में लगे बच्चों में नशा की स्थिति

क्रमांक	बच्चों में नषा की लत	आवृति	प्रतिषत
1.	हाँ	51	63.7
2.	नहीं	29	36.3
	कुल योग	80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 63.7 प्रतिशत बाल–श्रमिक नशा करते हैं यह नशे के लिए गुटका, गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, गांजा, राशि आदि का प्रयोग करते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है जबकि 36.3 प्रतिशत बाल–श्रमिक नशा नहीं करते हैं ।

बाल श्रम के उन्मूलन के उपाय –

वर्तमान समय में बाल–श्रम की समस्या एक चुनौती के रूप में है, यह मानवता पर कलंक है जो बच्चे देश का भविष्य है उनसे कार्य करना घोर अपराध है। विडंबना यह है कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद निकट भविष्य में बाल–श्रम के खत्म होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए बाल–श्रम जैसी सामाजिक बुराई को समाज से समाप्त करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। बाल–श्रम के प्रमुख कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा का समाधान जब तक न होगा तब तक यह समस्या ज्यों की त्यों रहेगी ।

तालिका क्रमांक – 5

बाल–श्रम को रोकने के उपाय

क्रमांक	उपाय	आवृत्ति	प्रतिषत
1.	गरीबी उन्मूलन	20	25
2.	अषिक्षा को दूर करना	13	16.5
3.	कानून का कठोरता से पालन करना	11	13.7

4.	सरकारी प्रयास का बढ़ना	10	12.5
5.	समाज को जागृत करना	12	15
6.	नषा को समाप्त करना	14	17.5
	कुल योग	80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 25 प्रतिषत बाल–श्रमिकों को मानना है कि जब गरीबी का उन्मूलन होगा तभी बाल–श्रम समाप्त हो पाएगा क्योंकि गरीबी बच्चों को मजबूर करती है बाल–श्रम करने के लिए, 17.5 प्रतिषत का मानना है कि नशा को समाप्त करना आवश्यक है, 16.3 प्रतिशत अशिक्षा को दूर करना मानते हैं, 15 प्रतिषत समाज को जागृत करना, 13.7 प्रतिशत कानून का कठोरता से पालन करना, 12.5 प्रतिषत सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मानते हैं ।

इस अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं कि गरीबी बाल–श्रम का सबसे मूलभूत एवं मुख्य कारण है आश्रित बच्चों की बड़ी तादाद अभिभावकों की निरक्षरता, अनियमित एवं अल्प आय और आजीविका के स्थाई स्रोत भी सामने आए हैं जो उन्हें पढ़ने के बदले काम करने को बाध्य कर देती है। कुछ परिवारों में यह भी पाया गया है कि बाल–श्रम की स्थितियां गरीबी एकल परिवारों से ज्यादा उभरती है। कुछ बच्चों की काम करने की वजह गरीबी न होकर अभिभावकों का उपेक्षा भाव है। आम नागरिक भी बाल–श्रम को प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह सस्ता तो होता है सहज प्राप्त एवं झंझटों से मुक्त भी होता है। कभी–कभी अभिभावकों अपना ऋण चुकाने के लिए भी बच्चों को काम पर लगा देते हैं। अब समय की मांग है कि सरकारी वह गैर सरकारी संस्था, आम जनता सभी को एक साथ मिलकर बाल–श्रम की समस्याओं से लड़कर जड़ से खत्म करना है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल भरत, सामाजिक समस्याएं, विवेक प्रकाशन, पृष्ठ – 324, सन 2003.

2. रिपोर्ट– अपना अधिकार जाने, मानव अधिकार एवं बाल मजदूरी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 07, सन 2013.

3. नाटाणी प्रकाष नारायण एवं शर्मा प्रज्ञा, भारत में सामाजिक समस्याएं, पोइन्टर पब्लिषर्स जयपुर, पृ. –69, सन 2000.

4. चौबे राजेन्द्र कुमार, छात्रों में नषे की प्रवृति, कारण एवं निदान, अर्जुन पब्लिषिंग हाऊस, पृ.–150, सन 2009.